सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 154/2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. जलालुदीन पुत्र करदबक्ष जाति मुसलमान निवासी सदारा तहसील सावर जिला अजमेर (राज)

वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र छीतर जाति लौहार
2. ताराचन्द जैन पुत्र सोभागमल जाति जैन
3. अनिल जैन पुत्र ताराचन्द जाति जैन
4. कामड रेगर पुत्र किशना जाति रेगर
   निवासीगण सदारा तहसील सावर जिला अजमेर
5. भरत मीणा पुत्र मोहन मीणा जाति मीणा
6. रणजीत मीणा पुत्र बरदा जाति मीणा
7. शिवराज मीणा पुत्र महादेव जाति मीणा
8. श्योजी मीणा पुत्र सोला जाति मीणा
   निवासीगण आलोली तहसील केकड़ी जिला अजमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, राज. भू राजस्व अधि.

निर्णय

दिनांकः–28.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सदारा में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा **128, राज. भू राजस्व** के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त आराजी **वाके ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर के खाता स. 317 के खसरा नम्बर 1219 रकबा 1.07 हैक्ट., खसरा नम्बर 3238/1219 रकबा 0.01 है. वादी के नाम दर्ज खातेदार** है। **है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी फसल काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण आये दिन सीमाचिन्ह को मिटा देते है। जिससे आये दिन लडाई झगडा बना रहता है। वादी द्वारा उक्त आराजीयात का स्थायी पत्थरगढी करवाये जाने हेतु** वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। दिनांक 28.06.2018 को केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सदारा में पेश हुयी। वादी उप.।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकार को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादपत्र वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादी का वाद प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वाद पत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा **वाके ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर के खाता स. 317 के खसरा नम्बर 1219 रकबा 1.07 हैक्ट., खसरा नम्बर 3238/1219 रकबा 0.01 है.** भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी केकडी